रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11072025-264523
CG-DL-E-11072025-264523

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2995] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 9, 2025/आषाढ़ 18, 1947
No. 2995] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 9, 2025/ASHADHA 18, 1947

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 जुलाई, 2025

का.आ. 3062(अ).— केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2 में संख्यांक का.आ.. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है) के अनुसरण में राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, त्रिपुरा (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण कहा गया है) का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:-

1.	डॉ. सब्यसाची दासगुप्ता, आचार्य, वानिकी और जैव विविधता विभाग, त्रिपुरा विश्विद्यालय (एक केंद्रीय विश्विद्यालय), सूर्यमनीनगर, अगरतला, त्रिपुरा-799022	अध्यक्ष;
2.	आचार्य (डॉ.) पार्थ प्रतिम सरकार, आचार्य, सिविल इंजीनियरिंग विभाग, एनआईटी अगरतला, जिरानिया, पश्चिम त्रिपुरा-799046	सदस्य;

3.	निदेशक, विज्ञान, प्रौद्यौगिकी और पर्यावरण विभाग, त्रिपुरा सरकार	सदस्य-सचिव।

2. प्राधिकरण, पैरा 4 के अधीन गठित राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति की सिफारिशों के आधार पर अपने विनिश्चय देगा।

3. प्राधिकरण के सभी विनिश्चय किसी बैठक में लिए जाएंगे और साधारणतया सर्वसम्मत से किए जाएंगे:

परन्तु यदि कोई विनिश्चय बहुमत द्वारा लिया गया है तो इसके लिए और इसके विरुद्ध टिप्पणियों के ब्यौरे कार्यवृत में स्पष्टतया अभिलेखित होंगे और उसकी एक प्रति केंद्रीय सरकार को भेजी जाएगी।

4. केन्द्रीय सरकार, त्रिपुरा राज्य सरकार के परामर्श से, प्राधिकरण की सहायता के प्रयोजन के लिए त्रिपुरा राज्य के लिए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ अंकन समिति, (जिसे इसमें इसके पश्चात् समिति कहा गया है) का गठन करती है जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात्:-

1.	श्री बुद्धि देबबर्मा, सेवानिवृत्त भारतीय वन सेवा, वन विभाग, त्रिपुरा सरकार, अगरतला, पश्चिम त्रिपुरा जिला	अध्यक्ष;
2.	डॉ. अनिमेष देबनाथ, सह आचार्य, सिविल इंजीनियरिंग विभाग, एनआईटी अगरतला, जिरानियां, पश्चिम त्रिपुरा-799046	सदस्य;
3.	डॉ. सुशांत कुमार बिस्वाल, सहायक आचार्य, सिविल सदस्य इंजीनियरिंग विभाग, एनआईटी अगरतला, जिरानिया, पश्चिम त्रिपुरा-799046	सदस्य;
4.	एर. सागर शोभन देबनाथ, मुख्य अभियंता, ग्रामीण विकास विभाग, त्रिपुरा सरकार, अगरतला	सदस्य;
5.	आचार्य मिताली साहा, आचार्य, रसायन विज्ञान विभाग, एनआईटी अगरतला, जिरानिया पश्चिम त्रिपुरा-799046	सदस्य;
6.	डॉ. जिम्मी देबबर्मा, सहायक आचार्य, भूगोल एवं आपदा प्रबंधन विभाग, त्रिपुरा विश्विद्यालय, सूर्यमणिनगर, अगरतला	सदस्य;
7.	डॉ. सम्राट गोस्वामी, सहायक आचार्य, (स्टेज-।।),ग्रामीण अध्ययन विभाग, त्रिपुरा विश्विद्यालय, सूर्यमणिनगर, अगरतला	सदस्य;
8.	डॉ. मुथुसिवरामपांडियन एम, सहायक आचार्य, बायो इंजी. विभाग. एनआईटी अगरतला, जिरानिया, पश्चिम त्रिपुरा-799046।	सदस्य;
9.	डॉ अर्जुन कुमार डे, सह आचार्य, रसायन विज्ञान विभाग, त्रिपुरा प्रौद्योगिकी संस्थान, नरसिंहगढ़, अगरतला, पश्चिम त्रिपुरा।	सदस्य;
10.	डॉ. बाल कृष्ण चौधरी, सह आचार्य, पर्यावरण विज्ञान विभाग,रामथाकुर कॉलेज, अगरतला।	सदस्य;
11.	सदस्य सचिव, त्रिपुरा राज्य प्रदूषण नियंत्र बोर्ड, अगरतला, त्रिपुरा।	सदस्य सचिव।

5. प्राधिकरण के और समिति के अध्यक्ष और सदस्य इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे ।

6. प्राधिकरण और समिति ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगी और ऐसी प्रक्रियाओं का अनुसरण करेगी जो उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट हैं ।

7. हितों के टकराव से बचने के लिए,-

(i) प्राधिकरण और समिति के अध्यक्ष और सदस्य,-

(क) यह घोषित करेंगे कि वे किस परामर्श संगठन और परियोजना के प्रस्तावक से भी जुड़े हैं; और

(ख) किसी ऐसी परियोजना के लिए पर्यावरणीय समाघात निर्धारण और पर्यावरण प्रबंधन योजना की तैयारी के संबंध में कोई परामर्श या सहयोग नहीं देंगे, जिसका उनके कार्यकाल के दौरान प्राधिकरण द्वारा विन्श्चित किया जाना है या समिति द्वारा अंकन किया जाना है; और

(ii) पिछले पांच वर्षों में यदि प्राधिकरण और समिति के अध्यक्ष और किसी सदस्य ने किसी परियोजना प्रस्तावक के लिए परामर्श संबंधी सेवाएं प्रदान की हैं या पर्यावरण समाघात निर्धारण का अध्ययन किया है, तो उस स्थिति में वे ऐसे समर्थकों द्वारा प्रस्तावित किसी परियोजना के अंकन की प्रक्रिया में प्राधिकरण या समिति की बैठक से स्वयं को विलग रखेंगे।

8. समिति सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करेगी और अध्यक्ष प्रत्येक मामले में सर्वसम्मति पर पहुंचने का प्रयास करेगा और यदि सर्वसम्मति पर नहीं पहुंचा जा सकता है तो बहुमत का मत अभिभावी होगा ।

9. त्रिपुरा राज्य सरकार, प्राधिकरण और समिति के लिए सचिवालय के रूप में कार्य करने के लिए किसी अभिकरण को अधिसूचित करेगी और सभी वित्तीय और संभार तंत्र संबंधी सहायता, जिसके अंतर्गत उक्त सूचना के अधीन उनके सभी कृत्यों की बाबत वास-सुविधा, परिवहन और अन्य सुविधाएं भी हैं, उपलब्ध कराएगी ।

10. प्राधिकरण और समितियों के अध्यक्ष तथा सदस्यों की बैठक की फीस, यात्रा भत्ता और मंहगाई भत्ता त्रिपुरा राज्य सरकार के सुसंगत नियमों के अनुसार संदत्त किया जाएगा ।

[फा.सं.-आईए3-1/2/2021-आईए.।।।]

रजत अग्रवाल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th July, 2025

S.O. 3062(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and in pursuance of the notification of the Government of India in the *erstwhile* Ministry of Environment and Forests, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, *vide* number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 (hereinafter referred to as the said notification), the Central Government hereby constitutes the State Level Environment Impact Assessment Authority, Tripura (hereinafter referred to as the Authority) comprising of the following Members, namely:—

1.	Dr. Sabyasachi Dasgupta, Professor, Department of Forestry and Biodiversity, Tripura University (A Central University), Suryamaninagar, Agartala, Tripura-799022	Chairman;
2.	Prof. (Dr.) Partha Pratim Sarkar, Professor, Department of Civil Engg. NIT, Agartala, Jirania, West Tripura- 799046	Member;

3.	Director, Science, Technology and Environment Department, Government of Tripura.	Member Secretary.

2. The Authority shall take its decision on the recommendations of the State Level Expert Appraisal Committee constituted under paragraphs 4.

3. All decisions of the Authority shall be taken in a meeting and shall ordinarily be unanimous:

Provided that, in case a decision is taken by majority, the details of views, for and against it, shall be clearly recorded in the minutes and a copy thereof sent to the Central Government.

4. The Central Government, in consultation with the State Government of Tripura, for the purpose of assisting the Authority, hereby constitutes following State Level Expert Appraisal Committee for the State of Tripura, (hereinafter referred to as the Committee) comprising of the following persons, namely: —

1.	Sri Budhi Debbarma, Retired Indian Forest Service, Forest Department, Government of Tripura, Agartala, West Tripura District	Chairman;
2.	Dr. Animesh Debnath, Associate Professor, Department of Civil Engg.. NIT Agartala, Jirania, West Tripura-799046	Member;
3.	Dr. Sushant Kumar Biswal, Associate Professor, Department of Civil Engg., NIT Agartala, Jirania, West Tripura-799046	Member;
4.	Er. Sagar Sobhan Debnath, Chief Engineer, Rural Development Department, Government of Tripura, Agartala	Member;
5.	Prof. Mitali Saha, Professor, Dept. of Chemistry, NIT Agartala, Jirania, West Tripura-799046	Member;
6.	Dr. Jimmi Debbarma, Assistant Prof. Department of Geography and Disaster Management, Tripura University, Suryamaninagar, Agartala	Member;
7.	Dr. Samrat Goswami, Assistant Professor (Stage-II), Department of Rural Studies, Tripura University, Suryamaninagar, Agartala	Member;
8.	Dr. Muthusivaramapandian M, Assistant Professor, Department of Bio Engg., NIT Agartala, Jirania, West Tripura-799046.	Member;
9.	Dr. Arjun Kumar De, Assistant Professor, Department of Chemistry, Tripura Institute of Technology, Narsingarh, Agartala, West Tripura.	Member;
10.	Dr. Bal Krishan Choudhary, Associate Professor, Department of Environmental Science, Ramthakur College, Agartala.	Member; and
11.	Member Secretary, Tripura State Pollution Control Board, Agartala, Tripura.	Member Secretary.

5. The Chairman and Members of the Authority and the Committee, shall hold office for a period of three years from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

6. The Authority and the Committee shall exercise such powers and follow such procedures as specified in the said notification.

7. In order to avoid any conflict of interest,—

(i) the Chairman and Members of the Authority, and the Committee shall,—

(a) declare to which consulting organisation they have been associated with and also the project proponents; and

(b) not undertake any consultation or associate with regard to preparation of Environment Impact Assessment and Environment Management Plan for project, which is to be decided by the Authority or to be appraised by the Committee during their tenure; and

(ii) in the preceding five years, if the Chairman or any Member of the Authority, and the Committee have provided consultancy services or conducted Environment Impact Assessment studies for any project proponent, in that event they shall recuse themselves from the meetings of the Authority or the Committee as the case may be, from the process of appraisal of any project proposed by such proponents.

8. The Committee shall function on the principle of collective responsibility and the Chairman shall endeavour to reach a consensus in each case, and if consensus cannot be reached, the views of the majority shall prevail.

9. The State Government of Tripura shall specify an agency to act as Secretariat of the Authority and the Committee which shall provide financial and logistic support, including accommodation, transportation and such other facilities in respect of their functions under the said notification.

10. The sitting fees, travelling allowances and dearness allowances to the Chairman and Members of the Authority and the Committee shall be paid in accordance with the provisions of relevant rules of the State Government of Tripura.

[F. No. IA3-1/2/2021-IA.III]

RAJAT AGARWAL, Jt Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKHA NATH YADAVA
Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA
Date: 2025.07.11 11:24:13 +05'30'